उ0प्र0 शासन
गृह(गोपन)अनुभाग-3
संख्या: 1/ 689366/2024-सी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई,2024

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर टर्मिनल तक पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएवं, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णिल भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के गाटा संख्या-168 इण्टरमीडिएट पम्पिगं (आई०पी०) स्टेशन-1 ग्राम-महेबा तहसील-टहरौली, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में-	गाटा संख्या-169 मरुरानीपुर गुरसरॉय सड़क ।
पश्चिम में-	गाटा संख्या-167 नाली ।
उत्तर में-	गाटा संख्या-168 शिवप्रसाद व संतोष कुमार का बाकी बचा भाग ।
दक्षिण में-	गाटा संख्या-159 चकमार्ग ।

आज्ञा से,

ह0/-
(ए०वी० राजामौलि)
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
GOPAN ANUBHAG-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. I/689366 /2024-CX-3, dated July 10 , 2024 for general information.

NOTIFICATION
No . I/689368 /2024-CX-3 /2024-CX-3
Lucknow; Dated: July 10 , 2024

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying petroleum products from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Terminal through pipeline ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4 th May, 1963, published in Part II, section 3, sub -section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11 th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE , in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place** " for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the Prohibited Place.	
Bharat Petroleum Corporation Limited Gata No.168 Intermediate Pigging (IP) Station -1 at Village Maheba, Tehsil- Tehrauli, District- Jhansi , Uttar Pradesh.	
In East-	Gata namber 169 mauranipur gursray road.
In West-	Gata namber 167 drain.
In North-	Remain part of gata namber 168 Shivprasad and santosh kumar.
In South-	Gata namber 159 chak road.

By order,

Sd/-
(**A.V. Rajamauli**)
Secretary.